न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी **उम्मेदी लाल मीना** आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 27 / 2024

अनवान:–

वजीर सिंह पुत्र गुरनाम सिंह जाति जट सिख निवासी वार्ड नम्बर – 11, डबलीबास कुतुब तहसील व जिला हनुमानगढ।

निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत डबलीबास कुतुब जरिये सरपंच ग्राम पंचायत डबलीबास कुतुब तहसील व जिला हनुमानगढ।
2. ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत डबलीबास कुतुब तहसील व जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थीगण

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम विरूद्व नोटिस क्रमांक 162 दिनांक 18.09.2024 (21.09.24) जिसके अन्तर्गत सार्वजनिक रास्ता पर मिथ्या रूप से अतिक्रमण होना व्यक्त कर कब्जा हटाने की धमकी दी गई। बमुराद अपास्त किये जाने उक्त नोटिस / आदेश व स्वीकार किये जाने निगरानी प्रार्थना पत्र।

उपस्थित:–

1 श्री सुमित अरोड़ा अभिभाषक निगरानीकर्ता।

2 श्री खुशप्रीतसिंह अभिभाषक अप्रार्थी सं0 01, 02

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज0)

–:निर्णय:–

दिनांक:–18.11.2024

निगरानी से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि डबलीबास कुतुब ने एक नोटिस क्रमांक 162 दिनांक 18.09.2024 (21.09.20124) निगरानीकर्ता को इन कथनों के साथ प्रेषित किया कि निगरानीकर्ता ने सार्वजनिक रास्ते की जगह पर दीवार निकालकर व गेट बनाकर अवैध रूप से अतिक्रमण कर रखा है तथा इस संबध में पांच दिवस में अवैध अतिक्रमण हटाकर उक्त रास्ते को अतिक्रमण मुक्त करें अन्यथा राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 62 तहत शास्ति अधिरोपित कर हर्जाना वसूल करते हुए उक्त अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। निगरानीकर्ता ने अप्रार्थी संख्या–1 को समक्ष अविलम्ब उपस्थित होकर निवेदन किया कि उसने सार्वजनिक रास्ते की जगह पर दीवार निकालकर व गेट बनाकर अवैध रूप से अतिक्रमण नहीं किया हुआ है तथा इस स्थान पर सार्वजनिक रास्ता नहीं है बल्कि प्रार्थी ने अपने भूखण्ड की सीमा में ही निर्माण किया हुआ है। प्रार्थी के भूखण्ड वा डबलीबास कुतुब साईज 41 गुणा 92 फुट का पट्टा प्रार्थी की पत्नी बलजीत कौर के नाम से ग्राम पंचायत डबलीबास कुतुब द्वारा जारीशुदा है। उक्त भूखण्ड के उत्तर में सुखपाल सिंह का मकान दक्षिण में गली आम, पश्चिम में जरनैल सिंह का मकान व पूर्व में गली आम स्थित है। अप्रार्थी संख्या–1 के वर्तमान सरपंच जिसकी प्रार्थी के साथ चुनावों को लेकर रंजिश है. के वशीभूत होकर [illegible] मानकर आक्षेपित नोटिस क्रमांक 162 दिनांक 18.09.2024 (21.09.2024) [illegible] है। प्रार्थी उक्त नोटिस को अपास्त करवाने हेतु प्रार्थी निम्नलिखित [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.11.29 18:37:24 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा जारी आक्षेपित [illegible] क्रमांक 162 दिनांक 18.09.2024 (21.09.2024) कतई गलत, विधि विरूद्व एवम् मनमाना है [illegible] अपास्त होने योग्य है। आ[illegible] आदेश पारित करने से पूर्व कोई प्रस्ताव नहीं लिया गया। वर्तमान सरपंच प्रार्थी के साथ राजनैतिक द्वैषता रखता है। आक्षेपित नोटिस में सार्वजनिक रास्ते की जगह पर दीवार निकालने व गेट बनाने के मिथ्या कथन किये हैं। अप्रार्थीगण ने स्पष्ट नहीं किया कि सार्वजनिक रास्ता कितने फुट चौड़ा है व अभिकथित दीवार व गेट कितने फुट अतिक्रमित भूमि

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़

पर बने हुए है। आक्षेपित नोटिस क्रमांक 162 दिनांक 18.09.2024 (21.08.20024) भ्रामक है। आक्षेपित नोटिस प्रेषित करने से पूर्व प्रार्थी को कोई सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया है बल्कि प्रार्थी को सुने बिना प्रश्नगत स्थल पर अतिक्रमण होना मानकर हटाये जाने के आदेश पारित किये हैं जो न केवल विधि विरूद्ध है बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतों के विपरीत है।

ग्राम पंचायत डबलीबास कुतुब ने आक्षेपित नोटिस में कब्जा का साईज व पहचान का कोई विवरण अंकित नहीं किया गया तथा ना ही इस संबंध में मौका पर कोई रिपोर्ट ली गई। वस्तुतः प्रश्नगत स्थल पर प्रार्थी की पुरानी दीवार व गेट बना हुआ था जो ध्वस्त हो गया था उसी स्थान पर नई दीवार व गेट का निर्माण किया गया है। प्रश्नगत स्थल सार्वजनिक रास्ता की भूमि पर नहीं है अप्रार्थीगण ने सार्वजनिक रास्ता की भूमि पर दीवार व गेट होने के मिथ्या कथन किये हैं। आक्षेपित नोटिस में सार्वजनिक रास्ता की चौडाई का कोई विवरण अंकित नहीं किया गया। ग्राम पंचायत डबलीबास कुतुब ने अन्य लोगों के कब्जे हैं, लेकिन अप्रार्थीगण ने पिक एण्ड चूज के आधार पर प्रार्थी से राजनैतिक द्वेषता से प्रार्थी के विरूद्ध कतई गलत व विधि विरूद्व कार्यवाही की जा रही है। प्रश्नगत स्थल को शामिल करते हुए प्रार्थी ने नियमन हेतु ग्राम पंचायत के समक्ष कार्यवाही कर रखी है, लेकिन अप्रार्थीगण ने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की। यह भी निवेदन किया कि प्रार्थी ने राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1996 की धारा 157 के अनुसार नियमन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हुआ है, लेकिन अप्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र का कोई निस्तारण नहीं किया। ग्राम पंचायत के वर्तमान सरपंच द्वारा आगामी पंचायती चुनावों को मध्यनजर रखते हुए आचार संहिता लगने से पूर्व ही अपने राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रार्थी का सार्वजनिक रास्ता पर अतिक्रमण होना व्यक्त कर आनन फानन में अतिक्रमण हटाने की धमकी दी जा रही है जो किसी भी प्रकार से विधि सम्मत नहीं है। अतः निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि निगरानी प्रार्थी स्वीकार फरमायी जाकर आक्षेपित नोटिस क्रमांक 162 दिनांक 18.09.2024 (21.09.2024) ग्राम पंचायत डबलीबास कुतुब को निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीयान की तलबी की गई। अप्रार्थी सं0 01, 02 जरिये अभिभाषक उपस्थित आये।

बहस सुनी गयी। अभिभाषक निगरानीकर्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी संख्या–1 के वर्तमान सरपंच जिसकी प्रार्थी के साथ चुनावों को लेकर रंजिश के वशीभूत होकर प्रश्नगत स्थल को अतिक्रमण होना मानकर आक्षेपित नोटिस क्रमांक 162 दिनांक 18.09.2024 (21.09.2024) प्रेषित किया है। प्रश्नगत स्थल को शामिल करते हुए प्रार्थी ने नियमन हेतु ग्राम पंचायत के समक्ष कार्यवाही कर रखी है, लेकिन अप्रार्थीगण ने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की। प्रार्थी ने राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1996 की धारा 157 के अनुसार नियमन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हुआ है, लेकिन अप्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र का कोई निस्तारण नहीं किया। अतः निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि निगरानी प्रार्थी स्वीकार फरमायी जाकर आक्षेपित नोटिस क्रमांक 162 दिनांक 18.09. 2024 (21.09.2024) ग्राम पंचायत डबलीबास कुतुब को निरस्त फरमाया जावे।

Signature Not Verified

अभिभाषक अप्रार्थी सं0 01, 02 ने अपनी बहस में कथन किये कि ग्राम पंचायत द्वारा विधि पूर्वक रूप से प्रस्ताव लेकर तीन पंच व ग्राम विकास अधिकारी की कमेटी गठित कर अतिक्रमण बाबत सर्वे रिपोर्ट मय नक्शा मौका अतिक्रमण होना प्रमाणित पाये जाने पर प्रार्थी द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटाने बाबत ग्राम पंचायत द्वारा विधिपूर्वक रूप से नोटिस प्रेषित किया है। प्रार्थी द्वारा गली आम के स्थान पर नियमन हेतु किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नही की गई तथा ना ही कानूनन गली आम की जगह का नियमन किया जा सकता है। प्रार्थी द्वारा अपने मकान के साथ चिपती हुई गली आम में एक तरफ 10 फुट व दूसरी तरफ 17 फुट अतिक्रमण किया हुआ है। सर्वे उपरान्त अतिक्रमण होना साबित पाये जाने पर

Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.11.29 18:37:24 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़

प्रार्थी को दिनांक 22.07.2024 को ग्राम पंचायत द्वारा जरिये क्रमाक 110 अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध में नोटिस प्रेषित किया गया था तथा दिनांक 05.08.2024 को ग्राम पंचायत द्वारा जरिये क्रमाक 123 प्रार्थी को अतिक्रमण हटाने बाबत नोटिस प्रेषित किया गया था इसलिए प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना नोटिस दिनांक 18.09.2024 प्रेषित करने के तथ्य झूठे व निराधार साबित होते है। पंचायत द्वारा दिये गये नोटिस के विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष निगरानी पोषणीय नही है, अगर पंचायत द्वारा दिये गये नोटिस के विरूद्ध प्रार्थी कोई कार्यवाही करना चाहता है तो प्रार्थी धारा 61 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत पंचायत समिति के समक्ष कार्यवाही करनी चाहिए थी। वर्तमान सरपंच द्वारा राजनैतिक द्वेषता रखने बाबत कथन झूठे व निराधार है जो निंदनीय है तथा हटाये जाने योग्य है। प्रार्थी द्वारा अपने अवैध व गैर कानुनी तरीके से किये गये पूर्णतः साबित अतिक्रमण पर अपना अवैध कब्जे को संरक्षित रखने के आशय से मिथ्या आधारो पर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा किये गये अवैध अतिक्रमण पर बने रहने की गर्ज से मिथ्या आधारो पर उक्त निगरानी प्रस्तुत की है। अतः अपनी बहस में कथन किये कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया।

1. ग्राम पंचायत डबलीबास कुतुब पचांयत समिति की कमेटी (तीन पंच व ग्राम विकास अधिकारी) मौका निरीक्षण व सर्वे रिपोर्ट के अनुसार निगरानीकर्ता द्वारा अपने मकान के साथ चिपती हुई गली/सार्वजनिक रास्ते में पश्चित दिशा में 10 फीट व पूर्व दिशा में 17 फीट लम्बाई में दीवार बनाकर अतिक्रमण किया गया है। निगरानीकर्ता के पास उक्त अतिक्रमित जगह के संबंध में कोई पटटा या अन्य दस्तावेज ग्राम पंचायत व इस न्यायालय को उपलब्ध नहीं करवाये गये हैं।
2. निगरानीकर्ता द्वारा पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किया है, जिससे निगरानीकर्ता का विवादित भूखण्ड पर कोई हक हो और ना ही ऐसा कोई साक्ष्य दौराने बहस प्रस्तुत किया है। निगरानीकर्ता केवल कब्जे के आधार पर पर अपना हक चाहता है। कब्जे के संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा DNJ 2022 PAGE 302 Padhiyar Prahlad Ji Chomali (Deceased) Thro'LR vs Maniben Nagmalbhai (Deceased) Thro'LR' & others में मत प्रतिपादित किया है कि "स्वामित्व के विरूद्ध निषेधाज्ञा पारित नहीं की जा सकती है, किसी वास्तविक मालिक या स्वामित्व धारक विरूद्ध किसी अतिचारी या गैरवासी कब्जे वाले व्यक्ति के पक्ष में निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती" अतः उपर्युक्त विवेचन की रोशनी में प्रकरण निगरानीकार के पक्ष में नहीं माना जा सकता है।

अतः प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य न होने से खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.11.29 18:37:24 IST
Reason: SelfAttested

(उम्मेदी लाल मीना)
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज०)